पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्दश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 12 आषाढ़ 1936 (श0) / 3 जुलाई, 2014 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 02

(1) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	.. ..	01
(2) सहकारिता विभाग	.. ..	01
	कुल योग —	02

अनाज की आपूर्ति

6. श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में वर्ष 2011–12 में खाद्यान्न देने हेतु 1 करोड़ 50 लाख चयनित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण 1 फरवरी, 2014 से माह अप्रैल, 2014 तक अनाज की आपूर्ति नहीं की गई है, राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना 1 फरवरी, 2014 से लागू कर दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में चयनित परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज (2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल) मिलने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो चयनित परिवारों को अनाज की आपूर्ति अभीतक नहीं कराने का क्या औचित्य है ?

घोटाले की जाँच

7. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी—हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "करोड़ों की फसल बीमा घोटाले की जाँच ठण्डे बस्ते में" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य के सभी जिलों में करोड़ो रुपये के फसल बीमा घोटाले की जाँच हेतु पत्रांक 5375, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 द्वारा निगरानी विभाग को पत्र लिखा था, जिसमें वर्ष 2001 से वर्ष 2011–12 तक के घोटाले की जाँच करनी थी ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो निगरानी विभाग द्वारा उक्त घोटाले की जाँच की दिशा में अबतक कौन–सी कार्रवाई की गयी है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। यह बात सही है कि विभाग द्वारा पत्रांक 5375, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत समावित वित्तीय अनियमितता की जाँच हेतु पत्र निगरानी विभाग को दिया गया था, परंतु इस प्रकरण में कोई आपराधिक दायित्व का मामला बनता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं होने के कारण उक्त निगरानी जाँच को तत्काल स्थगित रखते हुये विभाग द्वारा जाँच दल गठित कर पूरे मामले की इस पहलू से जाँच कराई गई कि इसमें कोई आपराधिक कृत्य हुआ है या नहीं और यदि हुआ है तो उसका साक्ष्य क्या है। इसके साथ–साथ इस प्रकरण में विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही एवं संलिप्तता के बिंदु पर विभागीय कार्यवाही भी संचालित करने का निर्णय लिया गया। अतः यह कहना सही नहीं है कि जाँच ठण्डे बस्ते में है क्योंकि जाँच एवं अग्रेतर कार्रवाई विभाग द्वारा नियमानुसार की जा रही है।

(2) वस्तुस्थिति यह है कि आपराधिक दायित्व के बिंदु पर विभाग द्वारा गठित दो जाँच दलों से पूरे मामले की जाँच कराई गई। दोनों जाँच दलों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इन प्रतिवेदनों से प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक दायित्व का मामला नहीं बनता प्रतीत होता है, परंतु प्रशासनिक चूक तथा फसल बीमा नियमन एवं विभागीय निदेशों की अवहेलना का मामला स्पष्ट होता है जिसके लिये नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कुल छः पदाधिकारियों में से पाँच पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है, जिसके संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना है तथा छठे पदाधिकारी पर विभागीय कार्यवाही हेतु संकल्प निर्गत के क्रम में है।

हरे राम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा ।

पटना :
दिनांक 03 जुलाई, 2014 (ई०)।

बि०स०मु० (एल०ए०), 37 डी०टी०पी०–450